न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

पीठासीन अधिकारी – रतन कौर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 130/2025

श्री जयसिंह पुत्र श्री खीवसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रामनेर, तहसील व जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1– श्री भगवतसिंह पुत्र श्री गोकुलसिंह, जाति राजपूत, निवासी रामनेर, तहसील व जिला अजमेर

2– श्री जोरावर साहू पुत्र श्री जगदीश प्रसाद साहू, जाति तेली, निवासी मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर

3– श्री फखरूद्दीन पुत्र श्री शकूर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी रामनेर ढाणी रोड़, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर

4– राज. सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री मदनलाल गुर्जर, वकील प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक – 20.04.2026

1. प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इसी उनवान वाद के साथ प्रस्तुत किया है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजियात ग्राम रामनेर ढाणी, तहसील अजमेर में स्थित है, जिसके अन्तिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में खसरा संख्या 1371 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा संख्या 1332/3405 रकबा 0.0700 हैक्टर व खसरा संख्या 1370 रकबा 0.9200 हैक्टर है। विवादित आराजियात में प्रार्थी खीवसिंह का वारिस है। प्रार्थी के पिता का आराजियात में 1/14 हिस्सा व मृतक माता का हिस्सा भी प्रार्थी में समाहित हो जायेगा। अप्रार्थी संख्या 1 भगवतसिंह का 1/12 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 जोरावर साहू पुत्री जगदीश प्रसाद का खसरा संख्या 1371 में से 19/450 हिस्सा निहित है व अप्रार्थी संख्या 3 फखरूद्दीन पुत्र शकूर मोहम्मद का खसरा संख्या 1371 में से 337/900 हिस्सा, खसरा संख्या 1332/3405 व 1370 में से 5/12 हिस्सा निहित है। विवादित आराजियात का विभाजन नहीं हो रखा है एवं अन्तिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 (वर्ष 2019) से स्थाई अनुसार खातेदार चले आ रहे हैं तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का संयुक्त हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रार्थी को

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

आये दिन काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं एवं अपना हक बताते हुए विवादित आराजियात को बेचान, रहन, मुन्तकिल व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थी के द्वारा विभाजन करने का अनुरोध करने पर मना कर दिया गया। इस कारण विवश होकर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर सम्पूर्ण आराजी का विभाजन किये जाने के लिये राजस्व अभिलेख में अलग से खाता कायम किया जाकर नक्शा ट्रेस में विभाजन अनुसार अंकन किये जाने हेतु इसी उनवान का वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित आराजियात को बेचान, रहन, मुन्तकिल व खुर्द बुर्द नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण एवं उनके नौकर, एजेन्ट, मित्रगण इत्यादि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पावन्द किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी नोटिस अप्रार्थी द्वारा प्रति पढकर लेने से मना करने की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 को प्रकरण की जानकारी हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

3. हमने विद्वान वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का तथा विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2072 से 2075 पेश की है जिसके अनुसार भूमि वर्तमान में संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसका विधिक रूप से बंटवारा नहीं हो रखा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त वर्णित विवादित आराजियात में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रार्थी को आये दिन काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं एवं विवादित आराजियात को बेचान, रहन, मुन्तकिल व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थी द्वारा विभाजन करने का अनुरोध करने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा इन्कार करने पर मजबूरन बंटवारे का वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना बताया है। उक्त वाद के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन करते है तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में करना संभव नहीं है। प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी एवं आप्रार्थी संख्या 1 से 3 उक्त भूमि में संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज है। विधि के प्रतिपादित प्रावधानों के तहत संयुक्त खातेदार को अपने सह–खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकार नहीं है। संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक हिस्से पर अधिकार होता है। इसी प्रकार प्रत्येक खातेदार को अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का कानूनन

सहायक कलक्टर(मु.),अजमेर

अधिकार है। प्रार्थी विवादित आराजी में रिकॉर्डेड खातेदार है तथा खातेदारी में प्रार्थी का हक हिस्सा निर्धारित है। जिसका विधिवत बंटवारा करवाने हेतु प्रार्थी ने पृथक से न्यायालय में वाद पेश कर रखा है। जिसे प्रार्थी साक्ष्य सबूतों के आधार पर सिद्ध करे। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 भी उक्त आराजियात में रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है व उनका हक हिस्सा भी निर्धारित है। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को उनके हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करने के अधिकारी नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिये प्रार्थी को तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति को सिद्ध करना आवश्यक था। विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा प्रत्येक का राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अंकित है, जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अपनी सुविधानुसार मौके पर करते आ रहे हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी ने स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का संयुक्त कब्जा काश्त है व उपयोग उपभोग कर रहे हैं। जब प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त व रिकॉर्डेड खातेदार है एवं मौके पर उपयोग उपभोग कर रहे हैं तो उन्हे अपूर्णीय क्षति किस प्रकार हो रही है, यह साबित करने में वे असफल रहे हैं, जिससे अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होता है एवं प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
अजमेर
सहायक कलक्टर(मु.),अजमेर